



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218723
CG-DL-E-17032020-218723

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No. 153]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सं. 09/2020 केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिनसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा- उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करती है।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, भारतीय कारबार संचलानो के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक्रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है।

[फा.सं. 20/08/01/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

No. 09/2020—Central Tax

G.S.R. 179 (E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** to the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

[F. No. 20/08/01/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director